8/7/24 कोई उपस्थित नहीं। यदि पेशी दिनांक 5-7-24 को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाकी एवं उभय वकील को बार-बार आवाज लगवाई गई कोई हाजिर जवाब नहीं आया। अतः दावा वादी अपना दाखिली व अपना पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बौलपुर (राज०)